न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), इन्दौर म.प्र.

जमानत आवेदन क्र. 1815/20

रीना पति राजेश, उम्र 26 वर्ष,
धंधा गृहकार्य, निवासी– ग्राम भीमजी,
जिला देवास (म0प्र0)

––आवेदक/अभियुक्त

वि रू द्ध

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना क्षिप्रा, जिला इंदौर (म.प्र.)

–– अभियोगी

13.06.20

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के आदेश क्रमाक क्यू–82/2020 दिनॉक 07.06.2020 के आदेशानुसार रिमांड डियुटी में मेरे समक्ष पेश।

आज मेरे समक्ष वी सी के माध्यम से सुनवायी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त रीना द्वारा श्री दिनेशसिंह अधिवक्ता वी सी के माध्यम से उपस्थित।

म0प्र0 राज्य द्वारा श्रीमती सुशीला राठौर विशेष लोक अभियोजक वी सी के माध्यम से उपस्थित।

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर के मौखिक आदेश अनुसार प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया है।

प्रकरण अंतरिम जमानत आवेदनपत्र पर विचार हेतु नियत है।

आवेदक/अभियुक्त के अंतरिम जमानत आवेदन पर उभय–पक्ष के तर्क श्रवण किये गये। मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त रीना की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. को द्वितीय जमानत आवेदन पत्र बताते हुये उसके समर्थन में रामलाल का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदनपत्र इसी न्यायालय से आदेश दिनॉक 22.02.2020 को निरस्त किया गया था तभी से आवेदक/अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध असत्य आधारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त गृहस्थ महिला होकर उसका एक वर्ष का पुत्र है जो आवेदक/अभियुक्त के साथ ही होकर उस पर आश्रित है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। और न ही पूर्व में किसी प्रकरण में सिद्धदोष ठहराया गया है। आवेदक/अभियुक्त से कोई जप्ती नहीं होना है। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लंबे समय तक जेल में रहने पर आवेदक/अभियुक्त तथा उसके बालक के शरीर पर बुरा प्रभाव पडेगा। आवेदक/अभियुक्त म0प्र0 की स्थायी निवासी होकर उसके फरार होने की

संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कारित अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। अन्य आवेदक/अभियुक्त श्रीमती सुनीता की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय के एमसीआरसी क्रमांक 9683/20 आदेश दिनॉक 16.03.2020 द्वारा स्वीकार की जाकर जमानत पर रिहा किया गया है अतः समानता के आधार पर वर्तमान आवेदक/अभियुक्त रीना का द्वितीय जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के समस्त आदेश व निर्देशों का पालन करने को तत्पर है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का सम्यक् रूप से विरोध किया गया है और जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त रीना के विरूद्ध अंतर्गत धारा 363, 366, 376(2)(एन), 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 व 16/17 पॉक्सो एक्ट का विचारण किया जा रहा है। अभियोजन के अनुसार पुलिस थाना क्षिप्रा, जिला इंदौर में शिकायतकर्ता द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह प्राथमिक स्कूल मांगलिया में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। उसके तीन बच्चे हैं। घटना दिनांक 10.01.20 को वह सुबह दस बजे स्कूल पढाने गया था, घर पर उसकी पत्नी व उत्तरजीवी थी। उसे, उसकी पत्नी गीताबाई ने फोन पर बताया कि उत्तरजीवी घर पर नहीं है और कोई अज्ञात बदमाश उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया जिसमें उसने बताया कि अजय ने उसे मिलने के लिये घर के पीछे बुलाया था और अपनी मोटरसायकल पर बिठाकर अजय उसे अर्जुन बरोदा लेकर गया और अजय ने सुनीताबाई, रीनाबाई व राजेश के सामने उसकी मर्जी के बिना उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और सुनीताबाई तथा रीनाबाई ने उत्तरजीवी/पीडिता को जबरदस्ती साडी पहनाई और गले में मंगलसूत्र डाल दिया। उसके बाद अजय उसे अपने घर से आवेदक/अभियुक्त रीनाबाई के घर शाजापुर लेकर गया और उनके साथ आवेदके/अभियुक्त रीनाबाई तथा राजेश भी थे जहॉ अजय ने उसके साथ खोटा काम किया। आवेदक/अभियुक्त रीना ने उसे घर के अंदर बंद करके रखा। उसके बाद उन लोगों रीना, सुनीता ने देवास में बडी माता मंदिर पर जबरदस्ती उसकी शादी अजय से करवा दी। अजय द्वारा उत्तरजीवी के साथ 12 मील सांवेर में भी किराये का कमरा लेकर उसे कमरे में बंद करके रखकर कई बार उत्तरजीवी की मर्जी के बिना कई बार खोटा काम किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त एक महिला होकर उसका एक वर्ष का छोटा बच्चा भी साथ में है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त रीना द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी और उसे प्रकरण में असत्य रूप से आलिप्त किया गया है। सहअभियुक्त सुनीता को माननीय उच्च न्यायालय के एमसीआरसी क्रमांक 9683/2020 में जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त रीना का मामला सहअभियुक्त सुनीता के मामले से भिन्न नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाये।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि माननीय उच्च न्यायालय के एमसीआरसी क्रमांक 9683/2020 आदेश दिनॉक 16.03.2020 द्वारा सहअभियुक्त

सुनीता को जमानत का लाभ दिया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त रीना का पूर्व में प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2020 तथा द्वितीय जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2020 द्वारा गुणदोषों पर निरस्त किया जा चुका है। जहां तक अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तथा बदली हुई परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त को रिहा किये जाने का प्रश्न है तो उक्त संबंध में प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ हो। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के बिना यदि पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है, तो यह पूर्व के आदेश का रिव्यू माना जायेगा, जो विधि में अनुमत नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टान्त **''हरिसिंह विरूद्ध हरभजन सिंह'' (2001)1 एस.सी.सी. 169,** अवलोकनीय है।

जहॉ तक सह अभियुक्त सुनीता की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने के कारण बदली हुई परिस्थितियो तथा समानता के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त रीना को जमानत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में संलग्न उत्तरजीवी के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसकी जन्म तिथि 07.06.2002 अंकित है तथा घटना दिनांक 11.01.2020 की होना बताई गई है, जिससे प्रथम दृष्टया उत्तरजीवी घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की रही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरजीवी द्वारा धारा 164 दंप्रसं के अंतर्गत दिये गये उसके कथन में यह बताया गया है कि आवेदक/अभियुक्त रीना उसे अपनी ससुराल शाजापुर लेकर गयी थी और वहॉ पर आवेदक/अभियुक्त रीना ने उत्तरजीवी को 3–4 दिन तक अपनी ससुराल में रखा था। अभियुक्त रीना जहॉ भी जाती थी उसे एक कमरे में बंद करके जाती थी और 3–4 दिन बाद आवेदक/अभियुक्त रीना ही उसे देवास लेकर गयी थी, जहॉ उत्तरजीवी का जबरदस्ती विवाह अभियुक्त के साथ हुआ। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई भी आक्षेप सहअभियुक्त सुनीता पर नहीं है। नामांकित आवेदक/अभियक्त रीना पर उत्तरजीवी को परिरूद्ध रखकर उक्त अपराध में अन्य अभियुक्त अजय का सहयोग करने का अभियोग हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त रीना का मामला सहअभियुक्त सुनीता के मामले से भिन्न है। ऐसी स्थिति में समानता के सिद्धांत के आधार अभियुक्त रीना जमानत का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

अतः अपराध की गम्भीरता, संकलित साक्ष्य की प्रकृति तथा धारा 164 दंप्रसं के कथन को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त रीना को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक/अभियुक्त **रीना** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा **439 दं.प्र.सं.** निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रतिलिपि मूल अभिलेख में संलग्न की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

(श्रीमती नीलम शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट), इन्दौर

(श्रीमती नीलम शुक्ला)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
इन्दौर (म.प्र.)